राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 3091/2024

गुरुचरण सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी 8/308, पांचवा पुलिया, चोपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

2. योगेश कुमार सारस्वत पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश सारस्वत, निवासी 45 दूसरी, तीसरी सी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री मनीष पुरोहित

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री मुक्तियार खान, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश</u>

<u>09/07/2024</u>

1. याचिकाकर्ता, जो अंडर ट्रायल है, इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 51/2022 गुरुचरण बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संख्या 2 जोधपुर द्वारा पारित पुनरीक्षण आदेश दिनांक 27.02.2024 को निरस्त करने की मांग कर रहा है, जिसके तहत अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट संख्या 9 जोधपुर द्वारा धारा 311 सीआरपीसी के तहत शिकायतकर्ता को जिरह के लिए दोबारा बुलाने से इनकार करने के आदेश को बरकरार रखा गया है।

2. सुनवाई की गयी।

3. मामले की फाइल का अवलोकन करने के बाद, मुझे इसके बाद बताए गए कारणों से हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।

4. यह साबित हो चुका है कि शिकायतकर्ता और बैंक मैनेजर को गवाह के तौर पर वापस बुलाने का स्पष्ट कारण यह है कि विवादित चेक पर तारीख में विसंगति

है। हालांकि, शिकायतकर्ता से याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह पता लगाने के लिए जिरह नहीं की गई कि यह विसंगति किसने की। इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर अपनी शिकायत का समर्थन करने के लिए बैंक अधिकारियों के बयान भी नहीं दिए हैं।

5. याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए कारण/आधार कम से कम कहने के लिए तुच्छ हैं।

6. संशोधन न्यायालय ने सही रूप से नोट किया है कि जिरह के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। जिरह 08.04.2015 को बंद कर दी गई थी। इसके बाद, 20.07.2016 को फिर से जांच का अवसर दिया गया। 10.05.2018 को जिरह पूरी होने के बाद, आरोपी के बयान के लिए केस फाइल सेट की गई।

7. लगभग चार साल बाद, 10.10.2022 को, अभियुक्त/याचिकाकर्ता ने 4 साल की अवधि बीत जाने के बाद धारा 311 के तहत ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक अत्यधिक विलंबित आवेदन दायर किया।

8. इसके अलावा, गुण-दोष के आधार पर भी याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कोई बचाव नहीं किया गया है जिससे बैंक के प्रबंधक को बैंक की सील के प्रस्तावित ओवरराइटिंग या गैर-फिक्सेशन पर पूछताछ के लिए बुलाया जा सके।

9. इस आधार पर, मेरा मानना है कि अभियुक्त द्वारा दायर आवेदन अदालती कार्यवाही में देरी करने के लिए एक टालमटोल करने वाली रणनीति के अलावा और कुछ नहीं है। दोनों विद्वान न्यायालयों द्वारा आवेदन को सही तरीके से खारिज कर दिया गया है।

10. इस प्रकार तत्काल याचिका भी खारिज की जाती है।

11. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।